कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक :– 01/यो0ब0–48बी0/2015- 723

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग।

दिनांक :–20.05.2016

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना)'' (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए **कुल 214.745 लाख (दो करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) रुपये** मात्र का ऑन–लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट–70/2015–30/स्वी0 व0 प0 दिनांक–17.08.2015 एवं आ0आ0संख्या–04/यो0बजट–70/2015–33 अ0व0प0 दिनांक–25.04.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली ''अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना)'' (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए **कुल 214.745 लाख (दो करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) रुपये** मात्र राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना , उप शीर्ष 58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण	मजदूरी	19P240601789580103	193.574
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789580323	21.171
कुल आवंटित राशि				**214.745**

अर्थात् **कुल 214.745 लाख (दो करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) रुपय** मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्त्तमान आवंटित **कुल 214.745 लाख (दो करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) रुपय** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना)" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01–वानिकी लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट–1 में अंकित विवरणी के अनुरुप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है। जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को प्राप्त है। तद्नुसार वर्ष 2016–17 के लिये राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का व्यय वास्तविक रुप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत करया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी यथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या–2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या–819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार सतत अनुश्रवण सुनिशचित किया जाएगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रुप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निर्देशों के साथ अधीनस्थों तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को समर्पित करेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र– परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाऐं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।

17. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।

18. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरुप निर्धारित वानिकी मापदंड़ों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

19. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

20. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

21. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शर्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

23. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरुप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

24. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगें।

25 वर्त्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरुप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरुप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।

26 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

27. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1(क), (ख) एवं (ग) पर, कार्य दर अनु0–2(क), (ख) एवं (ग) पर एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20.5.2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

24. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगें।

25 वर्त्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरुप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरुप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।

26 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

27. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1(क), (ख) एवं (ग) पर, कार्य दर अनु0–2(क), (ख) एवं (ग) पर एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–48बी0/2015- 723** ,राँची, दिनांक :–**20.05.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, देवघर/प्रादेशिक अचंल, मेदिनीनगर, पलामू/प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ प्रादेशिक अचंल, हजारीबाग/ प्रादेशिक अंचल, चतरा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

24. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगें।

25 वर्त्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरुप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरुप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।

26 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

27. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1(क), (ख) एवं (ग) पर, कार्य दर अनु0–2(क), (ख) एवं (ग) पर एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–48बी0/2015- 723** ,राँची, दिनांक :–**20.05.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, देवघर/प्रादेशिक अचंल, मेदिनीनगर, पलामू/प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ प्रादेशिक अचंल, हजारीबाग/ प्रादेशिक अंचल, चतरा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–48बी0/2015- 723** ,राँची, दिनांक :–**20.05.2016**

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, देवघर/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/ कोषागार पदाधिकारी, गढवा/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, कोड़रमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2015-16\Development\Allotment DDO\TSP\Soil conservation\Advance work/Soil Cons. (TSP) . 5

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु0जा0 के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं0	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
8	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	60	9.076	1.035	10.111
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	25	3.782	0.431	4.213
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	30	4.538	0.518	5.056
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	30	4.538	0.518	5.056
12	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	70	10.588	1.208	11.796
	योग :–	**215**	**32.522**	**3.710**	**36.232**

क्रम सं0	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	60	10.246	1.035	11.281
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	60	10.246	1.035	11.281
1	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	60	10.246	1.035	11.281
3	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	60	10.246	1.035	11.281
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	60	10.246	1.035	11.281
5	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	60	10.246	1.035	11.281
6	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल,हजारीबाग	60	10.246	1.035	11.281
7	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	60	10.246	1.035	11.281
	योग :–	**480**	**81.968**	**8.280**	**90.248**
	सकल योग :–	**695**	**114.490**	**11.990**	**126.480**

20/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनु0–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु0जा0 के लिए विशेष घटक योजना) क अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधो का रोपण का अग्रिम कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं0	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	30	10.276	1.226	11.502
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	30	10.276	1.226	11.502
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	30	10.276	1.226	11.502
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	25	8.564	1.022	9.586
6	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	25	8.564	1.022	9.586
योग :–		**140**	**47.956**	**5.722**	**53.678**
क्रम सं0	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
3	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	60	21.721	2.453	24.174
योग :–		**60**	**21.721**	**2.453**	**24.174**
सकल योग :–		**200**	**69.677**	**8.175**	**77.852**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं0	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	40	9.407	1.006	10.413
सकल योग :–		**40**	**9.407**	**1.006**	**10.413**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	13	2880.93	0.00	2880.93	
2	वृक्षारोपण	हे0	22	4875.42		4875.42	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	25	5540.25	0.00	5540.25	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हे0 औसत 6चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे0 तक	हे0	9.17	2032.16		2032.16	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**71.17**	**15771.98**	**1725.00**	**17496.98**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनु0–2 (क)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	13	2880.93	0.00	2880.93	
2	वृक्षारोपण	हे0	22	4875.42		4875.42	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	25	5540.25	0.00	5540.25	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हे0 औसत 6चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे0 से 60 हे0 तक	हे0	18.34	4064.33		4064.33	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**80.34**	**17804.15**	**1725.00**	**19529.15**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : शीघ्र बढने वाले पौधों का रोपण 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी0 x 2 मी0

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	32.5	7202.33	0.00	7202.33	
2	वृक्षारोपण	हे0	55	12188.55		12188.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	62.5	13850.63	0.00	13850.63	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे0 तक	हे0	9.16	2029.95		2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		161.16	35714.67	4087.50	39802.17	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनु0–3(क)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : शीघ्र बढने वाले पौधों का रोपण 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी0 x 2 मी0

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	32.5	7202.33	0.00	7202.33	
2	वृक्षारोपण	हे0	55	12188.55		12188.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	62.5	13850.63	0.00	13850.63	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हे0 औसत 6 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे0 से 60 हे0 तक	हे0	18.32	4059.90		4059.90	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		170.32	37744.62	4087.50	41832.12	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–4

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम– भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर–वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	4764.62	0.00	4764.62	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	9196.82	0.00	9196.82	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	हे0	9.16	2029.95	0.00	2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :–			**110.66**	**24523.36**	**2515.00**	**27038.36**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

-67-

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/yb-48b/2015/723 दिनांक - 20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28990	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	907,600.00 रुपये नौ लाख सात हजार छः सौ
2	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28991	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	1,915,200.00 रुपये उन्नीस लाख पंद्रह हजार दो सौ
3	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28993	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	2,052,200.00 रुपये बीस लाख बावन हजार दो सौ

योग: 4,875,000.00

क्रमिक योग: रुपये अडतालीस लाख पचहत्तर हजार

20/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 20/5/2016

पत्र संख्या - 01/yb-48b/2015/723 दिनांक - 20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28994	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	2,052,200.00 रुपये बीस लाख बावन हजार दो सं
5	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28995	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	1,024,600.00 रुपये दस लाख चौइस हजार छः सं
6	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28997	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICEI EAST	1,024,600.00 रुपये दस लाख चौइस हजार छः सं
7	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28999	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	1,881,000.00 रुपये अठारह लाख इक्कयासी हजा

योग: 5,982,400.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड आठ लाख सत्तावन हजार चार सौ 10,857,400.00

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
20/5/2016

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 20/5/2016

-65-

पत्र संख्या - 01/yb-48b/2015/723 दिनांक - 20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29000	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	3,196,700.00 रुपये इकतीस लाख छयानवे हजार सात सौ
9	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29001	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,052,200.00 रुपये बीस लाख बावन हजार दो सौ
10	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29002	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	1,024,600.00 रुपये दस लाख चौबीस हजार छः सौ
11	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29004	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	378,200.00 रुपये तीन लाख अठहत्तर हजार दो सौ

योग: 6,651,700.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पचहत्तर लाख नौ हजार एक सौ 17,509,100.00

20/5/2016

(SHRI.Y.K SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 Run Date: 20/5/2016

पत्र संख्या - 01/yb-48b/2015/723 दिनांक - 20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29005	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	1,394,500.00 रुपये तेरह लाख चौरानवे हजार पाँच सौ
13	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29008	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	453,800.00 रुपये चार लाख तीरपन हजार आठ सौ
14	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29012	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	103,500.00 रुपये एक लाख तीन हजार पाँच सौ
15	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29013	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR.OREST.DIV.	223,000.00 रुपये दो लाख तेइस हजार

योग: 2,174,800.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड छयानवे लाख तिरयासी हजार नौ सौ 19,683,900.00

20/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 20/5/2016

-63-

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/723 दिनांक - 20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29016	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	226,100.00 रुपये दो लाख छब्बीस हजार एक सं
17	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29017	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	226,100.00 रुपये दो लाख छब्बीस हजार एक सं
18	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29018	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	103,500.00 रुपये एक लाख तीन हजार पाँच सं
19	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29019	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	103,500.00 रुपये एक लाख तीन हजार पाँच सं

योग: 659,200.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड तीन लाख तीरयालीस हजार एक सौ 20,343,100.00

20/5/2016

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 20/5/2016

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/723 दिनांक - 20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29020	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	205,700.00 रुपये दो लाख पाँच हजार सात सौ
21	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29022	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	348,800.00 रुपये तीन लाख अड़तालीस हजार आठ सौ
22	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29024	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	226,100.00 रुपये दो लाख छब्बीस हजार एक सौ
23	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29025	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	103,500.00 रुपये एक लाख तीन हजार पाँच सौ

योग: 884,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड बारह लाख सत्ताइस हजार दो सौ 21,227,200.00

20/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 20/5/2016

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/723 दिनांक - 20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29026	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	43,100.00 रुपये तीरयालीस हजार एक सं
25	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29027	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	152,400.00 रुपये एक लाख बावन हजार चार सं
26	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29028	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	51,800.00 रुपये इकावन हजार आठ सं

योग: 247,300.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड चौदह लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ 21,474,500.00

20/5/2016

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL PCCF,DEV,JHARKHAND

RANCHI

 Run Date: 20/5/2016